संख्या-15/20/95-का-4-2007

प्रेषक,

शम्भू नाथ,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-4

लखनऊः दिनांक ::26 मार्च, 2007

विषयः- लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को समय से अधियाचन प्रेषित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, मेरे पूर्वाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत समसंख्यक शासनादेश दिनांक 17 अगस्त, 2006 में लोक सेवा आयोग द्वारा सम्पादित की जाने वाली परीक्षाओं/ चयनों से संबंधित समयसारिणी अंकित करते हुए, तदानुसार समय से अधियाचन प्रेषित करने के निर्देश दिये गये थे। समसंख्यक शासनादेश दिनांक 11 दिसम्बर, 2006 के साथ आयोग द्वारा तैयार किये गये अधियाचन प्रपत्र की प्रति संलग्न करते हुए, समय से अधियाचन प्रेषित करने का पुनः आपसे अनुरोध किया गया था।

2. लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त निर्देशों के बावजूद उन्हें अभी भी समय से अधियाचन उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं जिससे निर्धारित तिथि पर विज्ञापन प्रकाशित करने में विलम्ब हो रहा है। अतः आपको पुनः निम्नवत् निर्देशित किया जाता है :-

(1) सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2007 से संबंधित अधियाचन तत्काल लोक सेवा आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(2) आयोग द्वारा सम्पादित की जाने वाली अन्य परीक्षाओं / चयनों के अधियाचन उन्हें समय से उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में निर्गत शासनादेश दिनांक 17 अगस्त, 2006 में अंकित समयसारिणी का अनुपालन किया जा सके।

(3) प्रेषित किये जाने वाले अधियाचनों में आरक्षण से संबंधित समस्त सूचनायें यथा लम्बवत् /क्षैतिज आरक्षण, रोस्टर कमांक आदि का स्पष्ट उल्लेख करते हुए, संबंधित पद की सेवा नियमावली (हिन्दी/अंग्रेजी) की प्रति भी आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

3. अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शम्भू नाथ)
मुख्य सचिव।

संख्या-15/20/95(1)-का-4-2007, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2-सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,

(उमेश सिन्हा)
सचिव।